03.09.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने दादा को आंवटित भूमि की मूल आंवटन पत्रावली की

—लगातार

कर्द अहकाम एवं आंवटन आदेश में अपने दादा की जाति मजबी के स्थान पर राजपूत दुरुस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। मूल आंवटन पत्रावली एवं आंवटन आदेश में दुरुस्ती की जाना धारा 136 LR Act के प्रावधानों में नहीं आती है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS.